प्रकरण संख्या 15/2019 2019/00122 ता0रजू 16.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

मोहनलाल पुत्र श्रीफूल आयु 45 साल जाति मीना निवासी डूंडयापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली दिनांक 29.04.2019 मुकदमा सं. 224/2019 उनवानी सरकार बनाम मोहनलाल

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा दिनांक 03.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं करना, 1.5 क्वि. चीनी व 1311.9 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना पाया जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 29.04.2019 को गलत दिया गया है जो काबिले निरस्त योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट कि डीलर द्वारा स्टाक रजिस्टर संधारित नहीं किये जा रहे है तथा चीनी 01.01.2018 व 03.02.2019 तक कुल प्राप्त 7.5 क्वि. चीनी में से वितरण 5 क्वि. का पोश मशीन से किया गया तथा शेष स्टाक 2.5 क्वि. रहता है परन्तु मौके पर 1 क्वि. चीनी ही पायी गयी। इस प्रकार 1.5 क्वि. चीनी भौतिक सत्यापन पर कम पायी गयी तथा केरोसीन 1311.9 लीटर कम पाया गया। इन तथ्यों की रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल ने गलत तथ्यों की अदालत मातहत में पेश की क्योंकि प्रवर्तन अधिकारी अमित कुमार राजनैतिक दवाब में आकर सारा स्टाक रजिस्टर सही होने के बावजूद व जांच के लिए मौके पर नही पहुंचकर आपस में बैठकर ही सारे गलत तथ्य दर्ज किए गए जबकि मौके पर चीनी स्टाक सही था। केरोसीन भी सही था उसमें कोई कमी नहीं थी। वितरण सही प्रकार से किया गया। इसके बावजूद अदालत मातहत ने राजनैतिक दबाव में आकर अपीलाण्ट के उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के कानूनी भूल की है जो निरस्त किय जाने योग्य है। अदालत मातहत ने सही प्रकार से पत्रावली का अवलोकन नही किया नाही मौके पर पहुंचे। सारे तथ्य जो बिन्दु निर्णय में दिए गये वो बिल्कुल गलत दर्ज कर प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के इरादे से दर्ज किए गए है। तथा 1000 रूपए अमानत राशि भी गलत जब्त की है। निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट नियमानुसार खाद्य सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। कोई अनियमितता नहीं की नाही कोई फर्जीवाडा किया नाही किसी को कम तौला है। नाही स्टाक रजि. में कोई कमी पायी गयी है। स्टाक रजिस्टर कम्पलीट था। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 03.02.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच जिला रसद अधिकारी, करौली एवं प्रवर्तन निरीक्षक, मण्डरायल द्वारा की गई है। केवल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने आरोप निराधार हैं। मौका पर्चा पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर हैं। दौराने जांच अपीलार्थी की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं पाये गये। दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक कुल प्राप्त 7.5 क्विं. चीनी में से 5 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 2.5 क्विं. चीनी स्टॉक में शेष होनी चाहिये थी जबकि मौके पर 1 क्विं. चीनी पायी गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक कुल प्राप्त 8600 लीटर केरोसीन में से 7288.1 लीटर केरोसीन के वितरण के बाद स्टॉक में 1311.9 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था जबकि मौके पर 00 (शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 1.5 क्विं. चीनी व 1311.9 लीटर केरोसीन कम पाये गये जिनका अपीलार्थी द्वारा दुरुपयोग किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी की जांच जिला रसद अधिकारी करौली एवं प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा की गई है। मौका पर्चा पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। इसलिये अकेले प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच किया जाना या कार्यालय में बैठकर ही जांच की कार्यवाही किये जाने के आरोप निराधार हैं। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है। दौराने जांच अपीलार्थी की राशन दुकान पर 1.5 क्विं. चीनी तथा 1311.9 लीटर केरोसीन का कम पाये जाने से अपीलार्थी द्वारा उनका दुरुपयोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितताएं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 29.04.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली